दिनांक 13.10.2016 की गई वीडियो कांफ्रेस में दिए गए निर्देश

1. **स्वच्छ भारत मिशन–**

1.1 ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतों में सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र के लिए सीमेन्ट कांक्रीट सड़क (नाली सहित) बनाई जाना है। इस हेतु एक ग्राम एक डीपीआर सिद्धान्त पर ग्रामवार डीपीआर बनवाई जावे। संसाधनों की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को दी जा रही राशि, राज्य शासन की अन्य योजनाओं से दी जाने वाली राशि तथा नरेगा से कन्वरजेंस से की जावेगी। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.2 अशोकनगर, दतिया, जबलपुर, बुरहानपुर, श्योपुरकला, उमरिया एवं भोपाल जिलों में ओडीएफ किए जाने और शौचालय निर्माण की प्रगति में आशातीत सुधार आवश्यक है।

1.3 संभागीय बैठकों में विचार–विमर्श उपरान्त निम्न जिलों को इस वित्तीय वर्ष में ओडीएफ करने के उद्देश्य से यथोचित गति लाई जाना है:–

(1) हरदा	(4) सीहोर	(7) नरसिंहपुर
(2) बुरहानपुर	(5) आगर मालवा	(8) नीमच
(3) भोपाल	(6) शाजापुर	(9) ग्वालियर
(10) उज्जैन	(11) सीधी	(12) दतिया

1.4 कुछ प्रकरणों में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के एफटीओ जारी करने के संबंध में आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान साफ्टवेयर में उचित व्यवस्था पर किया जा रहा है। आगामी विडियो कांफ्रेंस के पूर्व सभी प्रकरणों में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

1.5 'एक आवास–एक शौचालय' के आधार पर भारत सरकार की सूची से अपात्रों के नाम हटाने और पात्र छूटे हुए परिवारों के नाम जोड़ने के लिए आवश्यक सूची तैयार कर ली जाए। सूची की साफ्ट प्रति मिशन संचालक, भोपाल (एसपीओ) को ई–मेल से प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई राज्य स्तर से की जाएगी। प्रस्तावित सभी परिवर्तन की सूची मुख्यालय में

प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 31.10.2016 होगी। इसके उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

2. **प्रधानमंत्री आवास योजना**–

2.1 विकास आयुक्त कार्यालय से संचालक व्दारा गूगल शीट पर चाही गई जानकारी अधिकांश जिलों ने या तो अपलोड नहीं की है या दर्ज जानकारी अद्यतन नहीं है। अद्यतन जानकारी दर्शाते हुए प्रत्येक बुधवार को जानकारी अद्यतन की जाए।

2.2 आवास निर्माण में नीचे दर्शाई गई तालिका में 5 जिले प्रदेश में bottom में है जिनके लिए विशेष प्रयास आवश्यक है:–

(1) शिवपुरी

(2) शहडोल

(3) सतना

(4) उमरिया

(5) सीधी

2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामवार लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों का चयन एवं सत्यापन का कार्य 25 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए। इस अवधि में पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों का आधार–सीडिंग सुनिश्चित किया जाए।

2.4 जिन ग्रामों में लक्ष्य 40 या अधिक है उनमें से सीईओ जिला पंचायत स्वयं 6–7 ग्रामों का भ्रमण एवं सत्यापन भी करें। यह राजपत्रित अधिकारी व्दारा किए जाने वाले सत्यापन के अतिरिक्त होगा।

2.5 मिस्त्री प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन मिस्त्रियों के सहायकों में से ही किया जाए। बेलदार/श्रमिक को मिस्त्री का पशिक्षण एक सप्ताह में दिया जाना संभव नहीं है। अतः बेलदार/श्रमिक को मिस्त्री के प्रशिक्षण में नहीं लिया जाए। आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वसहायता समूह में यदि कोई मिस्त्री का सहायक हो तो उसे अनिवायतः प्रशिक्षण में लिसर जाए।

3. **<u>सीएम हेल्पलाईन–</u>**

सीएम हेल्पलाईन के तहत एल–4 प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है। इनका निराकरण तत्परता से कराया जाए।

4. आगामी वीडियो कांफ्रेंस में आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा नरेगा के तहत–

अ– तालाबों के जीर्णोद्धार/नवीन निर्माण एवं

ब– मुक्तिधाम तथा खेल मैदान की समीक्षा की जाएगी।

14.10.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन